बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–6/ज02–1089/15– 2315 पटना, दिनांकः– 26/08/15

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषयः राज्य योजना के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई के अन्तर्गत नजरी (लक्ष्मीपुर) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 333.581 लाख (तीन करोड़ तैंतीस लाख अंठावन हजार एक सौ रूपये मात्र) पर योजना की स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– राज्य योजना के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई के अन्तर्गत नजरी (लक्ष्मीपुर) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 333.581 लाख (तीन करोड़ तैंतीस लाख अंठावन हजार एक सौ रूपये मात्र) पर योजना की स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख रूपये के व्यय हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इस योजना को दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

3. इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव में स्थानीय पंचायत की सहभागिता से की जाएगी।

4. इस योजना पर होनेवाले व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102 ग्रामीण जल पूर्ति– माँग संख्या –36 –उप शीर्ष –0330– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–P4215011020330– पी0एफ0एम0एस0 कोड–9150– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई होंगे। राशि की निकासी कोषागार, जमुई से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

6. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर –योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007– 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक–18.08.2015 को हुई विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति दी गई है तथा मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9. इस योजना हेतु वर्ष 2015–16 के योजना बजट में प्रावधान है।

10. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0– यथोपरि।

विश्वासभाजन

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:– 2315 पटना दिनांक– 26/08/15

प्रतिलिपि:–

E-mail

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/ कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, जमुई /कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/निदेशक (पी0एम0यू0)/निदेशक (सी0सी0डी0यू0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन)/सहायक अभियंता (मो0) (दो प्रतियों में)/ सहायक अभियंता (मू0)/प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–6/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर; अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुंगेर; कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव